

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स किसान भवन भोपाल

क्रमांक / बोर्ड / लेखा / मंडी बजट / 2022-23 / ३०८१ भोपाल, दिनांक ०९ / 02 / 22
प्रति,

सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति,
.....जिला.....

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 का पुनरीक्षित बजट अनुमान एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 का मण्डी समिति का बजट तैयार करने के संबंध में।

-0-

म0प्र0कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 25 "क" (1) एवं कार्यालयीन आदेश क्रमांक-122, दिनांक 27.01.2018 से जारी निर्देशों के अन्तर्गत 'क' एवं 'ख' श्रेणी की मण्डियों के बजट तैयार कर भारसाधक अधिकारी से अनुमोदन पश्चात् पारित करने हेतु दिनांक 25.02.2022 तक मुख्यालय भेजा जावे तथा "ग" एवं "घ" श्रेणी का बजट तैयार कर भारसाधक अधिकारी से पारित कराकर आंचलिक कार्यालय को सूचित किया जावे।

मण्डियां निर्धारित प्रपत्र पर बजट तैयार करेगी। पुनरीक्षित बजट एवं अनुमानक बजट तैयार करते समय निम्नलिखित निर्देशों का आवश्यक रूप से ध्यान रखा जावे:-

- वित्तीय वर्ष 2021-22 में पुनरीक्षित अनुमानक एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु बजट अनुमान भेजते समय प्रत्येक मद के लिए औचित्य सहित स्पष्ट टीप दी जावे।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पुनरीक्षित अनुमानक में यदि किसी मद से अधिक व्यय/बजट हो तो उसका कारण स्पष्ट रूप से दर्शाया जावे, इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमान में किसी मद में चालू वर्ष की तुलना में अधिक अन्तर हो उसकी भी औचित्य सहित टीप दी जावे।
- अग्रिम/त्यौहार अग्रिम की मांग करते समय पात्र कर्मचारियों की संख्या अवश्य लिखी जावे एवं अनाज अग्रिम अधिकतम 4000/- त्यौहार अग्रिम अधिकतम 4000/- के मान से गणना की जावे।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पुनरीक्षित अनुमानक तैयार करते समय स्वीकृति प्रावधान में से दिनांक 31.12.2021 तक व्यय की राशि घटाकर शेष प्रावधान को सम्मिलित करते हुए अनुमान न बताया जावे बल्कि तीन माह हेतु संभावित गणना उपरांत ही पुनरीक्षित बजट प्रावधान बनाया जावे।
- बजट अनुमान में प्रावधान तैयार करते समय आय मद से व्यय मद में अत्याधिक व्यय न हो तथा शासन एवं मण्डी बोर्ड, भोपाल द्वारा निर्धारित निर्देशानुसार समस्त योजनाओं एवं आवश्यकताओं तथा प्रावधानित अदायगी हेतु निर्धारित दर से गणना के आधार पर मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल को प्रेषित की जाने वाली राशियों का व्यय शीर्ष में मदवार स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
- प्राथमिकता के आधार पर विणपन विकास निधि, वैधानिक निधियों का प्रावधान/अन्तरण तथा समस्त प्रशासनिक व्यय के उपरांत ही मण्डी निधि में शेष राशि का उपयोग बजट प्रावधान उपरांत स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार निर्माण कार्य पर प्राथमिकता के आधार पर किया जावेगा।

(2)

- यदि मण्डी स्तर द्वारा वेतन भत्ता आदि के लिए अनुदान प्राप्त किया है तो उसे भी प्राप्ति में शामिल करें व उसके विरुद्ध व्यय को बजट व्यय मद में शामिल किया जावें।
- मण्डी समितियों द्वारा प्राप्त किये ऋण के विरुद्ध वर्ष में की गई वापिसी का प्रपत्र भी संलग्न किया जावें।
- पूर्व वर्षों की जमा स्थायी निधि की स्थिति पृथक से बजट में अंकित की जावें।
- वित्तीय वर्ष 2022–23 में मण्डी निधि से प्रस्तावित निर्माण कार्यों को कार्ययोजना में स्पष्ट उल्लेख किया जावें। बजट प्रपत्रों के साथ निर्माण कार्यों की वार्षिक कार्ययोजना की प्रति संलग्न की जावें।

उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यालयीन पत्र क्रमांक/बोर्ड/लेखा/मंडी बजट/2029–20/871, दिनांक 22.01.19 के द्वारा जारी निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाकर समस्त मण्डी समितियां पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर ही बजट तैयार करेगी तथा वित्तीय अधिकार अन्तर्गत स्वीकृति की कार्यवाही करेगी। “क” एवं “ख” श्रणी की मण्डी समितियां अपना बजट मुख्यालय को दिनांक 25.02.2022 तक लेखापाल/निर्वाही लिपिक के हस्ते भिजवाना सुनिश्चित करें।

अपर संचालक(वित्त)

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/लेखा/मंडी बजट/2022–22/3090 भोपाल, दिनांक 09/02/22
प्रतिलिपि:—

01. संयुक्त संचालक/उपसंचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय.....की ओर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर संचालक(वित्त)

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल